भारतीय संसद
PARLIAMENT OF INDIA

प्रेस विज्ञप्ति
PRESS RELEASE

राज्य सभा सचिवालय
RAJYA SABHA SECRETARIAT

विभाग-संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति

'निर्यातों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का प्रभाव' के संबंध में एक सौ उनतालीसवां प्रतिवेदन

******

विभाग-संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **श्री नरेश गुजराल, संसद सदस्य, राज्य सभा** की अध्यक्षता में 19 दिसम्बर, 2017 को राज्य सभा में **'निर्यातों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का प्रभाव' के संबंध में एक सौ उनतालीसवां प्रतिवेदन** प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन साथ ही साथ लोक सभा के पटल पर भी रखा गया है। पूरा प्रतिवेदन वेबसाइट www.rajyasabha.nic.in पर उपलब्ध है। समिति की मुख्य सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है:

जीएसटी के अंतर्गत प्रतिदाय तंत्र

- समिति यह नोट करती है कि प्रतिदाय नवबंर, 2017 माह से ही प्राप्त होने प्रारंभ हुए हैं और जुलाई से अक्तूबर, 2017 तक की चार महीने की बीच की अवधि निर्यातकों के लिए अत्यधिक कष्टपूर्ण रही है। प्रतिदाय किए जाने में लगने वाले अत्यधिक समय ने निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को अनुमानतः लगभग 1.2 प्रतिशत से लेकर 2.00 प्रतिशत तक कम कर दिया है। यह महसूस किया जाताहै कि यदि अटकी हुई पूंजी कार्यशील पूंजी के 20-25 प्रतिशत तक पहुंचती है तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे निर्यात में अत्यधिक गिरावट आएगी। (पैरा 2.8)
- समिति प्रतिदाय तंत्र में मौजूद कई प्रचालन संबंधी मुद्दों को नोट करती है जिससे प्रतिदाय प्रक्रिया धीमी और जटिल बन गई है। समिति यह महसूस करती है कि जीएसटी व्यवस्था में प्रतिदाय तंत्र का इष्टतम कार्यकरण निर्यातों का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। (पैरा 2.15)
- मामूली बहानों पर प्रतिदाय को अस्वीकार कर दिया जा रहा है। समिति इस बात की सराहना करती है कि प्रतिदाय प्रदान करने के लिए उचित कर्मठता अनिवार्य है परंतु इसको इतनी भी तवज्जो नहीं दी जा सकती कि मुख्य मुद्दा पीछे छूट जाए। (पैरा 2.16)
- समिति की इच्छा है कि निर्यातकों के शिकायत निवारण हेतु एक औपचारिक तंत्र होना चाहिए। समिति का विचार है कि निर्यातकों के साथ निरंतर बातचीत और